



भगवान दास मोरवाल के उपन्यास “हलाला” में चित्रित धर्म एवं मुस्लिम समाज।

डॉक्टर योगेश शर्मा

सहायक प्रोफेसर, (हिंदी विभाग) डी. ए. वी. शताब्दी महाविद्यालय, फरीदाबाद

शोध सार

प्रकृति में जीव, मनुष्य तक पहुंच कर पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इससे उत्तम जैविक प्रजातीय रूप में और कोई प्रजाति विकसित नहीं हुई। अस्तु मनुष्य ही उच्चतम विकसित प्राणी या जीव प्रजाति है। यह उच्चतम केवल उसे जैविक या शारीरिक क्षमताओं के कारण ही नहीं बल्कि उसे अन्य प्रजातियों से अलगाने वाला महत्वपूर्ण आधार है- बुद्धि, सोचने की शक्ति। इस बुद्धि के बल पर ही मनुष्य नए-नए आविष्कार करता है। जब मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया तो समाज की नींव पड़ी। समाज यूँ तो अन्य प्रजातियों का भी होता है जिसका प्रमाण उसका अपने-अपने झुंडों में विचरण करने से मिलता है। परंतु मनुष्य समाज उन सब से अलग इसलिए है क्योंकि वह जीव से आगे सबौद्धिक, भ्यात्मक एवं सांस्कृतिक समाज के रूप में विकसित हुआ है। किंग्सले डेविस ने भी इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है “मनुष्य की इस विशिष्टता का परिचायक यदि कोई एकांकी तत्व है तो वह यही है- समाज। समस्त प्राणी जगत में केवल उसी के पास संस्कृति है।”

अतः स्पष्ट है कि समाज मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। समाज से ही मनुष्य का अस्तित्व है इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक शब्द से तात्पर्य उसकी परस्पर उस अन्योन्याश्रिता से है, जिसके द्वारा उसने अपना आज तक का समग्र विकास किया है। अतः मनुष्य के परिपेक्ष्य में समाज की अवधारणा मात्रा जैविक आवश्यकता भर नहीं है उसके पीछे परस्पर सहयोग, विकसित और सर्वजनहिताय, सुख समृद्धि से जुड़ी वह चेतन संचारित रहती है, जिसके द्वारा वह निरंतर सभ्यता और संस्कृति के नए-नए सोपानों पर आगे बढ़ता चलता है। भार्गव आदर्श हिंदी कोश में, समाज का अर्थ- “समाज सं० पु०, मनुष्य का संगठित समूह, संघ, सभा, समुदाय।” साहित्यकार भी एक सामाजिक प्राणी होता है। साहित्यकार एक विशेष सामाजिक परिवेश में रहकर इससे अनुभव ग्रहण करता हुआ साहित्य की रचना करता है। साहित्य समाज को प्रभावित करता है और समाज साहित्य को। क्योंकि समाज और साहित्य को हम अलग-अलग नहीं देख सकते। यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। समाज अनेक वर्गों में विभाजित होता है। जैसे की



लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आदि। जिसके अंदर रहकर मनुष्य में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां विद्यमान रहती हैं। आज वर्तमान समय में धर्म के नाम पर जो आडंबर और शोषण देखा जा रहा है वह समाज को गलत दिशा में लेकर जा रहा है। धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को अपने-अपने मतानुसार परिभाषित करना शुरू कर दिया है। जिस मनुष्य को अपने हित के लिए जो फायदा दिखाई देता है वह वैसे ही परिभाषा गढ़ लेता है। धर्म और समाज का चोली दमन का संबंध माना जाता है।

डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म के बारे में कहा है कि "धर्म वह अनुशासन है जो अंतर आत्मा को स्पर्श करता है और हमें बुराई और कुत्सितता से संघर्ष करने में सहायता करता है। अर्चना जैन के शब्दों में- "धर्म व्यक्ति के जीवन को सही दिशा दिखाने वाला प्रेरणा तत्व है जिसका अनुकरण कर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। लेकिन आज वर्तमान दौर में प्रबुद्ध विद्वानों के मत और परिभाषाएं अलग-थलग होती हुई दिखाई देती हैं। इसी समस्या को उजागर करने के लिए मेवात के छोटे से कस्बे नगीना में भगवान दास मोरवाल का जन्म 23 जनवरी 1960 में निम्न वर्गीय दलित परिवार में हुआ।

मेवात जिला विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लिए जाना जाता है या यूं कहें कि यहां मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक रहते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। भगवान दास जी ने अपने आसपास जो कुप्रथाएं देखी उन्होंने उन सब बुराइयों को अपने उपन्यास में उजागर किया। वर्ष 2015 में प्रकाशित उपन्यास "हलाला" में मूल रूप से हलाला प्रथा पर करारा व्यंग्य किया गया है। इस उपन्यास में मोरवाल जी ने धर्म की आड़ में हो रहे स्त्री समाज के शोषण का पर्दापास किया है। साथ ही वर्तमान में प्रचलित मुस्लिम समाज में तीन तलाक, तलाक की कुप्रथा को भी उजागर किया है। जिसका हम संक्षिप्त वर्णन इस शोध पत्र में करेंगे।

प्रस्तावना: -

धर्म समाज और साहित्य का परस्पर अटूट संबंध माना जाता है। मोरवाल जी ने भी अपने उपन्यास में इन संबंधों की गहराई तक पड़ताल की है। क्योंकि धर्म ही मनुष्य को नियंत्रित करता है। यदि धर्म के अनुसार कर्म नहीं किया जाए तो समाज अव्यवस्थित हो जाता है। जिस प्रकार आंख का धर्म देखना है। यदि हम इस धर्म के अनुसार कर्म नहीं करेंगे अर्थात् हम अच्छा नहीं देखने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति की मर्यादा नष्ट हो जाएगी और समाज निरंतर गर्त में चला जाएगा



भगवानदास मोरवाल ने अपने हलाला उपन्यास के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह व्यक्ति अपने स्वार्थ हित के लिए धर्म का उपयोग करता है तथा अपने ही समाज की स्त्रियों को का शोषण करता है। जब ईश्वर ने पुरुष और प्रकृति की, दोनों की रचना समान की है तो दोनों को जीने का समान अधिकार मनुष्य क्यों नहीं देना चाहता?

भगवानदास मोरवाल अपने इस उपन्यास में एक जगह हलाला कुप्रथा एवं तीन तलाक की समस्याओं का पर्दाफाश करते हुए दिखाता है तीन तलाक तथा हलाला प्रथा, बहु विवाह जैसी व्यवस्था का निर्माण पितृसत्तात्मक समाज ने अपने सुखों के लिए किया है। सोचने वाली बात है कि यह जो हलाला प्रथा और तीन तलाक जैसे नियम समाज ने बनाए हैं तथा उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अल्लाह को दोष देते हैं। “नजराना और नियाज का तलाक होने के बाद मौलवी नजराना का हलाला करने के लिए कहते हैं तथा तीन बार पंचायत में डमरू और नजराना का तलाक नहीं होता तब हाजी खुदाबख्श अपनी कल्लो से कहता है - भली आदमन, इतनी जल्दबाजी में इतनी बड़ी फैसलों मत ले, अल्लाहताला जरूर हमारी मदद करेगा- -- हमारे ऊपर रहम करेगा।” ये शब्द हाजी खुदाबख्श अपनी पत्नी कल्लो को समझाते हुए कहता है। खुदा सब ठीक करेगा। सोचने वाली बात है क्या तीन तलाक जैसी व्यवस्था खुदा ने बनाई थी।

जब कल्लो को इस बात का पता चलता है कि हलाला तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक डमरू और नजराना एक साथ हमबिस्तर न होंगे तब तक उनका तलाक नहीं होगा। तब कल्लो नजराना को अपने घर में लाने से स्पष्ट मना कर देती है। लेखक ने उपन्यास में जो हलाला प्रथा षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है वह हमें मुस्लिम समाज में आज वर्तमान में भी देखने को मिलता है। इस कुप्रथा की आड़ में स्त्रियों का तो शोषण होता ही है साथ ही दो परिवारों का विघटन भी होता है।

जिस प्रकार किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक का अंत सुखांत के साथ किया जाता है, सत्य की जीत दिखाई जाती है लेखक ने भी अपने इस उपन्यास में डमरू पुरुष पात्र और नजराना स्त्री पात्र के माध्यम से सत्य और असत्य के बीच में सत्य की जीत दिखाई है। जब मौलवी नजराना को हलाला का आदेश देता है तब डमरू और नजराना परस्पर एक बात गढ़ते हैं। उपन्यास में डमरू सित्रियों की दिल से इज्जत करते हुए दिखाया गया है। डमरू के पास जब नजराना हलाला के लिए आती है तो डमरू नजराना को साफ मना कर देता है



और उसे अपने घर वापस लौट जाने की सलाह देता है तथा नजराना का बचाव करते हुए वह नजराना को विश्वास भी देता है कि जब अगली पंचायत होगी मैं सबके सामने यह झूठ बोल दूंगा कि हम दोनों हमबिस्तर हुए हैं और डमरू अपने बात पर खरा भी उतरता है। इस तरह नजराना भी पंचायत में सत्य का सहारा लेकर परंपरा की बेड़ियाँ तोड़ती हुई दिखाई गई है। नजराना सबके सामने परस्पर हमबिस्तर की बात को नकार देती है और अंत में पंचायत के सामने अपनी बात रखते हुए कहती है कि मैं डमरू को तलाक नहीं दूंगी। इस प्रकार लेखक ने इस उपन्यास में अपने पत्रों के माध्यम से परंपरागत बेड़ियों को तोड़ते हुए भी दिखाया गया है। तीन तलाक प्रथम मुस्लिम समाज की गंभीर समस्या बन गई है। जिसमें एक स्त्री का मानसिक और शारीरिक शोषण होता है।

मुस्लिम समाज में तीन तलाक प्रथा का हर जगह विरोध भी होता रहा है। उपन्यास का केंद्र बिंदु भी तीन तलाक रहा है। यह उपन्यास पीड़ित महिलाओं के शोषण का आख्यान माना जाता है इस उपन्यास में नजराना नियाज़ व डमरू पात्र की सहायता से दिखाया गया है कि समाज में तीन तलाक को हथियार बनाकर किस तरह महिलाओं का शोषण किया जाता है। नजराना और नियाज़ में झगड़ा हो जाता है जिसके कारण नियाज़ गुस्से में आकर अपनी पत्नी को तलाक, तलाक, तलाक, बोल देता है और उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है और यह सब सुनकर नजराना अपने घर चली जाती है।

लेकिन जब नियाज़ का गुस्सा शांत होता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी पत्नी नजराना से माफी मांगता है तथा उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। लेकिन नजराना साफ मना कर देती है और कहती है कि वह घर नहीं जाएगी। जब तक नियाज़ और उसका पिता हाजी खुदाबख्श भरी पंचायत में माफी नहीं मांग लेता।

यह बात धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि नियाज़ ने नजराना को पूरे छोड़ दिया और वह अब वापस घर आने से मना कर रही है। इसलिए गांव में पंचायत होती है पंचायत में हाजी खुदा बख्श माफी मांगता है तब नजराना का पिता कहता है "पंचो हमसू जो गलती हुई है, बाकी मैं या भरी पंचायत में माफी मंगरो हूं और खुद रसूल ए हाजिर नाजिर करके कसम खाऊं के आगे से ऐसी गलती फिर ना होगी" इस बात पर नजराना के पिता रहमत कहता है कि पंचायत में म्हरा चौधरी ने गलती स्वीकार कर ली और मुझे कुछ नहीं चाहिए।



नजराना भी मान जाती है। अब यही से शुरू होती है हलाला प्रक्रिया। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समय-समय पर सरकार भी अनेक कदम उठाते रही है लेकिन फिर कहीं मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों द्वारा उसका विरोध किया जाता है। अखबारों के माध्यम से भी इस बुराई को समाज के सामने लाने का समय-समय पर प्रयत्न किया गया है। "मुस्लिम बहनों के साथ न हो अन्याय" भारत सरकार ने मुस्लिम समाज की महिलाओं के दुख दर्द को समझा व सुना तथा इसे एक सामाजिक बुराई बताया तथा इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम बहनों को न्याय मिलना चाहिए लेकिन इसके विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा की शरियत क़ानून के खिलाफ तीन तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए।

इस प्रकार के मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज में तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त हो। "संविधान से बड़ा नहीं पर्सनल लॉ" "तीन तलाक थोपना गलत है फतवो का कानूनी आधार नहीं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के हनन की इजाजत नहीं हाई कोर्ट" इस प्रकार अनेक संघर्षों को पार कर तीन तलाक जैस कुप्रथा संवैधानिक रूप से तो खत्म हो गई पर सामाजिक रूप से पूर्णतया खत्म नहीं हो पाई। समय-समय पर सरकार व साहित्यकार इस प्रकार के सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने का प्रयास करते रहे हैं।

उद्देश्य

मेरे शोध पत्र का उद्देश्य भगवान दास मोरवाल् के उपन्यास "हलाला" का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना तथा उसमें चित्रित धर्म के नाम पर सामाजिक शोषण को उजागर करना रहा।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि साहित्यकार समाज का एक सजग सिपाही होता है। एक साहित्यकार का कार्य केवल कल्पन करना नहीं होता बल्कि समाज का यथार्थ वर्णन करना भी होता है। भगवान दास मोरवाल जी के उपन्यास हलाला में समाज का यथार्थ वर्ण मिलता है।

भगवान दास जी ने अपने इस उपन्यास में बड़ी निडरता के साथ मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों को उजागर किया तथा डमरू और नजराना जैसे पत्रों के माध्यम से कुरीतियों का खंडन करते हुए भी दिखाया। एक सच्चे साहित्यकार का कर्म हमें इस हल उपन्यास में देखने को मिलता है।



International Journal of Engineering, Science and Humanities

An international peer reviewed, refereed, open access journal

Impact Factor: 8.3 www.ijesh.com **ISSN: 2250 3552**

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. kingslay davis, Human socity.P.3
2. प्रोफेसर रामचंद्र पाठक, भार्गव आदर्श हिंदी, शब्दकोश, प्रकाशन 2004 पृष्ठ संख्या 753
3. डॉ राधाकृष्णन, धर्म एवं समाज, पृष्ठ संख्या 45
4. अर्चना जैन, प्रेमचंद निबंध साहित्य में सामाजिक चेतना पृष्ठ संख्या 36
5. भगवान दास मोरवाल,हलाला, पृष्ठ संख्या 134
6. अमर उजाला, 10 में 2017
7. अमर उजाला, सोमवार, 17 अप्रैल 2017